भाषा की विशेषताएँ

परिभाषाओं की तरह भाषा के विद्वानोने ने भाषा की कई विशेषताएं बतलाई है। निम्नलिखित रुप से हम उनका विवेचन कर सकते हैं -

1) भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है : -- कुछ लोग समझते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति है। अर्थात पिता की भाषा पुत्र को अपने आप संपत्ति की तरह मिल जाती है। इसका स्पष्टीकरण या इस विधान का खंडन करने के लिए हम पुष्टि के रूप में एक उदाहरण देख सकते हैं।

यदि किसी भारतीय बच्चे को एक या 2 वर्ष की आयु में ही फ्रांस के पाला जाए तो वह बड़ा हो जाने के बाद हिंदुस्तान की कोई भाषा नहीं बोलेगा और समझेगा भी नहीं वह केवल फ्रेंच भाषा ही बोलेगा और समझेगा। यानी कि उसकी मातृभाषा फ्रेंच ही होगी क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच भाषा ही प्रचलित भाषा है। वहां कोई हिंदुस्तानी भाषा का प्रचलन नहीं होता है। इसलिए 2 साल की अवस्था से बच्चा फ्रेंच भाषा की ध्वनि और शब्दों से परिचित होता है। हिंदुस्तान की हिंदी और अन्य भाषाओं से परिचित ही नहीं बल्कि कुंवारा रह जाता है। अगर भाषा पैतृक संपत्ति होती तो वह बच्चा फ्रांस में ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में रखने के बाद भारतीय भाषा ही बोल पाता लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए यह स्पष्ट है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है।

2) भाषा अर्जित संपत्ति है :-- ऊपर दिए उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अपने चारों ओर के वातावरण से परिस्थिति से और समाज से ही मनुष्य भाषा सीख लेता है। इसलिए तो भारत में जन्म हुआ और फ्रांस में पाला गया बच्चा हिंदुस्तान की हिंदी या अन्य कोई हिंदुस्तानी भाषा बोल नहीं पाता क्योंकि उसके चारों और फ्रेंच भाषा से ही युक्त वातावरण रहता है और उसी वातावरण तथा समाज से वह एक-एक शब्दों का अर्जन करके भाषा सीख लेता है इसलिए कहा जाता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है।

3) भाषा सामाजिक वस्तु है :-- ऊपर हमने भाषा को अर्जित संपत्ति कहा है तब एक सवाल सामने उपस्थित होता है कि कोई व्यक्ति भाषा का अर्जन कहाँ से करता है ? उत्तर है - समाज से। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा आरंभ से लेकर अंत तक समाज से संबंधित है और समाज से ही विकसित होती रहती है। सारांश यह की भाषा का विकास समाज से होता है और अर्जन भी समाज से होता है। भाषा का प्रयोग भी समाज में समाज के लिए होता है इसलिए भाषा को हम सामाजिक संस्था भी कह सकते हैं।

4) भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है:-- ऊपर के विवेचन में हमने भाषा का अर्जन और समाज का निकटतम संबंध बदलाकर चर्चा की है। उसी विवेचन को मध्य रखकर विचार किया जाए तो एक सवाल उठता है कि भाषा का अर्जन तो समाज से होता है लेकिन कैसे ? जवाब है - हम भाषा को अनुकरण द्वारा सिखते हैं।

उदाहरणार्थ - छोटे बच्चे के सामने माँ दूध, पापा, आई, बाबा आदि शब्द कहती हैं। बच्चा वह शब्द सुनता है और धीरे-धीरे खुद उन्हीं शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करता है इसीलिए प्रसिद्ध तत्ववेत्ता 'अरस्तु' कहता है "अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। वह भाषा को सीखने में भी उसी गुण का उपयोग करता है।

5) भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है, उसे उत्पन्न नहीं करता : --

समाज में भाषा परंपरा से चली आयी है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भाषा का अर्जन परंपरा और समाज से करता है। हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति भाषा में परिवर्तन कर सकता है किंतु भाषा उत्पन्न नहीं कर सकता इस विवेचन में उन भाषाओं का विचार नहीं किया जाएगा जो व्यक्तिगत सुविधा के लिए बनाई जाती हैं।

जैसे - सांकेतिक भाषा, गुप्त भाषा क्योंकि ऐसी भाषाओं का प्रयोग समाज में नहीं किया जाता अतः हम कह सकते हैं कि जो भाषा समाज में प्रचलित होती है उसका 'जनक समाज है और जननी है परंपरा'।

By Dr. Sangita Chitrakoti

6) भाषा चिर परिवर्तनशील है : --

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। यह संसार स्वतः परिवर्तनशील है और इस संसार में हर एक वस्तु परिवर्तनशील है इसलिए मनुष्य द्वारा प्रयुक्त भाषा भी परिवर्तन से प्रभावित है। भाषा मौखिक होती है उसका लिखित रूप भाषा पर ही निर्भर होता है। मौखिक भाषा अनुकरण पर आधारित होने पर भी दो आदमियों की भाषा एक जैसी नहीं होती। मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी तो है लेकिन फिर भी अनुकरण करने में सभी लोग पूर्ण नहीं होते क्योंकि मनुष्य में मानसिक और शारीरिक भिन्नता होती है इसलिए अनुकरण समान नहीं होते। परिणाम स्वरूप छोटी-छोटी भिन्नताएँ भाषा में परिवर्तन करती हैं। उसी प्रकार से बाहरी प्रभाव भी भाषा में परिवर्तन करते हैं। इसलिए भाषा हर पल परिवर्तित होती हैं। उसमें निरंतर वृद्धि होती है। भाषा परिवर्तन के उदाहरण इस प्रकार है।

उदाहरणार्थ - कृष्ण > कान्हा, गृह > घर, सर्प > साप, कर्म > काम, हस्त > हाथ इत्यादि

भाषा की परिवर्तनशीलता को देखने के लिए हम हिंदी भाषा का विकास क्रम देख सकते हैं .

..

7) भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता : --

मनुष्य द्वारा बनाई गई हर वस्तु का अंतिम स्वरूप हो सकता है। फूलों का अंतिम स्वरूप हो सकता है। पौधों का अंतिम स्वरूप हो सकता है लेकिन भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता अर्थात हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमूका भाषा का अमुक रूप अंतिम है। जो मृत् भाषा होती है उसका अंतिम स्वरूप अवश्य होगा लेकिन जीवित भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता क्योंकि जीवित भाषा का महत्वपूर्ण पहलू है - 'परिवर्तन'

8) प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है : --

हर भाषा की अपनी एक निश्चित सीमा होती है। उस सीमा के अंतर्गत उसका प्रचलन होता है और वास्तविक क्षेत्र भी होता है। निश्चित की हुई सीमा के बाहर भाषा का स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है या भाषा पूर्ण रूप से बदल जाती हैं अर्थात दूसरी भाषा की सीमा आरंभ हो जाती है।

उदाहरणार्थ : -- महाराष्ट्र राज्य की भाषा 'मराठी' है तो कर्नाटक की 'कन्नड़'

9) भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है : --

जिस प्रकार भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है उसी प्रकार प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। अर्थात प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी काल से आरंभ होकर इतिहास के निश्चित काल तक चलती है।

उदाहरणार्थ :-- प्राकृत भाषा का प्रचलन पहली ईसवी से 500 ईसवी तक माना जाता है।

10) प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है : --

कोई दो भाषाओं का ढांचा सर्व रुपेन एक सा नहीं होता। उनमें ध्वनि और शब्द रूप वाक्य या अर्थ आदि में अंतर अवश्य होता है। यही अंतर उनकी अलग-अलग स्वतंत्र सत्ता को स्पष्ट करता है।

उदाहरणार्थ : --

Rama is a good Boy
कर्ता क्रिया कर्म
राम अच्छा लड़का है।
कर्ता कर्म क्रिया

अंग्रेजी तथा हिंदी, मराठी भाषा में वाक्य रचना का क्रम बदल जाता है अर्थात भाषा की अपनी संरचना होती है।

11) भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है : --

सभी भाषाओं के इतिहास में स्पष्ट कर दिया है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। मनुष्य का एक जन्मजात एवं स्वाभाविक गुण है कि वह कम से कम प्रयास में अधिक लाभ उठाना चाहता है। इसी गुण के

कारण भाषा अपने आप सरल हो जाती हैं। इसी कम प्रयास और अधिक लाभ के कारण अगर किसी का नाम 'सत्येंद्र' हो तो उसका 'सत्येंद्र' होता है और बाद में 'सतेन' ही रह जाता है। इतना ही नहीं एक अवस्था इस प्रकार आती है कि 'सतेन' का केवल 'सत्या' रह जाता है।

12) भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है : --

भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की उत्पत्ति पर खोजबीन करके अपने विचार उपस्थित करते वक्त कहा कि भाषा आरंभ में स्थूल थी इसलिए सूक्ष्म भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए भाषा में सूक्ष्मता नहीं थी। आगे दिन-ब-दिन भाषा का विकास होने लगा और उसने सूक्ष्म भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए गहराई प्राप्त की इसीलिए आज की हिंदी की तुलना में कल की हिंदी और भी सूक्ष्म हो सकेगी।

13) भाषा एक प्राकृतिक और अविच्छिन्न रूप से युक्त होती है : --

भाषा परिवर्तनशील होने के साथ-साथ निरंतर प्रवाहमय भी है। भाषा की तुलना हम नदी से कर सकते हैं जिस प्रकार एक नदी अपने उद्‌गम स्थान से निकलकर आगे बढ़ती है उसी प्रकार भाषा भी निरंतर आगे बढ़ती हैं इसलिए संत कबीर ने कहा है 'भाषा बहता नीर'। भाषा अपने कुछ प्राचीन शब्दों को छोड़कर चलती है। वहीं नए शब्दों को ग्रहण भी करती हैं।

जैसे -- एक भाषा दूसरी भाषा के संपर्क में आ जाती है तब उसके प्रचलित शब्दों को ग्रहण कर लेती है और यह शब्द उसके प्रयोग प्रवाह में एक होकर चलने लगते हैं। जब हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आयी, तो लालटेन, अस्पताल, टिकट, स्पेशल, बक्सा आदि शब्दों को ग्रहण किया और यह शब्द हिंदी भाषा के अविभाज्य अंग बन गए। हिंदी भाषा के सहज अंग बनने वाले शब्द है - अलमारी, आचार, कमीज, तौलिया आदि।

अलग अलग विद्‌वानोने भाषा की विभिन्न विशेषताएँ बतलाई है। भाषा का स्वरूप अत्यंत व्यापक और विस्तृत है इसलिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ही यहाँ चर्चा की है।